


16⁰⁸/₂₃

पतापत्नी पेशा। वकील प्रार्थी या प्रार्थी
स्वयं उपस्थित नहीं। बार-बार आवाज लगाने
पर श्री वकील प्रार्थी या प्रार्थी स्वयं उपस्थित नहीं
हुये। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थन पत्र इसी स्तर
पर अडम पैरवी-अडम हाजिरी में खारिज किया
जाता है। पतापत्नी बाइ तरतीब तकमील होकर
दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिया गया जाकर खुले न्यायालय
में सुनाया गया।


(अनिका मिश्रा)
RoAes0